संयुक्त सचिव
JOINT SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344 / 23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/*एमआईएससी*/2016-17 24 मई, 2016

सेवा में,

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता
रामा फार्मेसी नगर पालिका के सामने
स्टेशन रोड़, जौनपुर-222001, उत्तर प्रदेश

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रथम अपील

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 16 मई, 2016 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आपने अपने दिनांक 14 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा बिन्दुवार सूचना न दिये जाने के विषय में अपील की है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र का विषय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित था जोकि 21 मार्च, 2016 को इस सचिवालय के सूचना अधिकारी द्वारा श्री ए.पी. सिंह, अवर सचिव/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अंतरित किया गया था जिसके उत्तर में श्री ए.पी. सिंह, अवर सचिव/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा आपको वांछित सूचना प्रेषित की है जिसकी एक प्रति इस सचिवालय को सूचनार्थ प्राप्त हुई है जिसकी एक प्रति आपको पुनः प्रेषित की जा रही है (प्रति संलग्न)।

धन्यवाद,

भवदीय,

अशोक

(अशोक दीवान)
अपीलीय प्राधिकारी व पारदर्शिता अधिकारी
ashok.dewan@nic.in

O/C

27/5

स्पीड पोस्ट
आरटीआई मामला

7

संख्या 32–4/2016–डीडी–III
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग

बी–2, पांचवा तल, पर्यावरण भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली,
दिनांक : 16 मई 2016

सेवा में

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता
रामा फार्मेसी, नगर पालिका के सामने
स्टेशन रोड, जोनपुर -222001 (उ. प्र.)

विषय : सूचना का अधिकार के तहत आवेदन पत्र।
महोदय,

उप-राष्ट्रपति सचिवालय से स्थानांतरण, सुविधा केंद्र के माध्यम से, इस अनुभाग में दिनांक 28.04.2016 को प्राप्त आपके पत्र दिनांक 14.03.2016 के संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार से है:–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपके आवेदन पत्र को सम्बधित CPIOs को भेज दिया गया है। जहा तक DD-III अनुभाग का संबध है:-

बिंदु संख्या:-1:- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता) अधिनियम, 1995 में विकलांगजनो के लिए उदिष्ट पात्रता और सुविधाए प्रदान करता है| इस अधिनियम के तहत मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता) नियम 1996 में बनाये गए है, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारिता) संशोधन नियम, 2009 में भी जारी की गई है| इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2001 को विकलांगता का मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु दिशा–निर्देश अधिसूचित है। इन सबकी विस्तृत जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं। डीडी-III अनुभाग स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–नि:श्क्ततांग्रस्त व्यक्तियो के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास के प्रशासनिक मामले से संबंधित है| राष्ट्रीय न्यास एक स्वायत्त निकाय है जो कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–नि:श्क्ततांग्रस्त व्यक्तियो के लिए काम करती है| इसकी विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट **www.thenationaltrust.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इस विभाग द्वारा चलाये गए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपके आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास के CPIO को भी भेज दिया गया है।

दु संख्या-2:- जहा तक DD-III अनुभाग का संबध है। डीडी-III अनुभाग स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियो के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास के प्रशासनिक मामले से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यास के श्री एस. के. मोहान्ती, उप-निदेशक (प्रोग्राम) को आपका आवेदन पत्र भेज दिया गया है। अन्य संस्थान दुसरे CPIOs के कार्यक्षेत्र में आते है इसलिए आपके आवेदन पत्र को इस विभाग के सभी CPIOs को भी भेज दिया गया है।

2. इस मामले में श्री के.वी.एस राव, निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, बी–2, पांचवा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 अपीलीय अधिकारी हैं।

भवदीय

डी.के.पां.

(डी.के. पांडा)
अवर सचिव एवं सीपीआईओ, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011–24369059

<u>आरटीआई आवेदन की प्रतिलिपि सहित:</u>

1. श्री एस.के. महतो, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

2. श्री रामानुज डे, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

3. सुश्री. सुरक्षा शर्मा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

4 श्री प्रदीप पुरोहित, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

5. श्री सौरांशु सिंहा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

6. श्री संजय सिंह, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, पर्यावरण भवन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार इसका स्थानांतरण माना जाए।

7. श्री नवनीत कुमार, प्रोग्राम ऑफिसर & सीपीआईओ, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली, 16–3 बड़ा बाजार रोड, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली – 110060 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आरटीआई आवेदन को आपके पास स्थानांतरण कर दिया गया, आप से अनुरोध है कि आवेदक को सीधे की सूचना उपलब्ध करायें।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>

1. श्री महिताब सिंह, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली | पत्र संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/159/2015-16 दिनाक 21.03.2016 |